संख्या-701 /2023/4750/41-2023-99 (सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः: दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

विषयः अयोध्या, वाराणसी एवं नैमिषारण्य (जनपद सीतापुर) में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का विकास व संचालन पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2928/SS/Heliport-Monitoring/95 Vol-II दिनांक 04 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या, वाराणसी एवं नैमिषारण्य (जनपद सीतापुर) में। में पर्यटन विकास के दृष्टिगंत हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का विकास व संचालन पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रदेश सरकार द्वारा जनपद वाराणसी, अयोध्या तथा नैमिषारण्य को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय गन्तव्य के रूप में स्थापित किये जाने हेतु जन सुविधाओं का विकास, अवस्थापना सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक सुविधाओं के सृजन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरीडोर के विकास व विस्तारीकरण से पर्यटकों के आवागमन में कई गुना वृद्धि हुई है। जनपद अयोध्या में भगवान श्री रामचन्द्र जी के भव्य मंदिर के निर्माण के उपरान्त देश एवं विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं/पर्यटकों द्वारा अयोध्या भ्रमण हेतु आगमन सम्भावित है। इसी क्रम में अट्ठासी हजार ऋषियों-मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक व सांस्कृतिक गन्तव्य के रूप में स्थापित किये जाने हेतु पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2021 के सापेक्ष वर्ष 2022 में 04 गुना की वृद्धि हुई है।

3- उपरोक्त संदर्भ में पर्यटन निदेशालय द्वारा उपरोक्त हेलीपोर्टों हेतु चिन्हित भूमि का निम्नवत् विवरण उपलब्ध कराया गया है:-

क्रमांक	**भूमि का विवरण**	**भूमि का स्वामित्व**	**कुल क्षेत्रफल (में ०वर्ग मी)**
1.	डोमरी, वाराणसी	पर्यटन विभाग	31590
.2	चौधरी चरण सिंह घाट, अयोध्या	पर्यटन विभाग	3600
.3	मिश्रिखनीमसार-, सीतापुर	पर्यटन विभाग	20,000

4- देश में पर्यटन उद्योग के बदलते परिदृश्य में हेली सेवा की बहुत अधिक मांग है, जिसके लिए हेलीपैड के निर्माण एवं संचालन में प्रशिक्षित/विशेषज्ञ संस्थाओं की आवश्यकता होगी। इन हेलीपोर्टर्स को प्रदेश सरकार द्वारा पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशक के माध्यम से विकसित व संचालित कराने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर प्रदेश सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार वहन नहीं करना पडेगा अपितु प्रदेश सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इस परिकल्पना के मूर्त रूप लेने से प्रदेश सरकार के 01 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत न केवल प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा, अपितु रोजगार सृजन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं का सृजन, देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आवागमन बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर गतिविधियों बढ़ेगी, रोजगार के नये-नये अवसर सृजित होगें, लोगों का आर्थिक उन्नयन होगा व सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स एवं एयरस्ट्रिप्स (हवाई पट्टियों) से भी इनकी कनेक्टिविटी करके एयर एंबुलेस, जॉय राइड्स आदि भी. संचालित हो सकेंगे।

5- पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा भारतीय व विदेशी पर्यटकों के प्रदेश भ्रमण को सुगम बनाने एवं प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से जनपद अयोध्या, वाराणसी एवं जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के दृष्टिगत पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से हैलीकॉप्टर सेवा संचालन कराया जाना है।

6- पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-3362/41-2023/113 (सा0)/2022 दिनांक 20 जुलाई, 2023 द्वारा प्रदेश की पी०पी०पी० परियोजनाओं के संबंध में जारी "गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी०पी०पी० प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश-2016" की अवस्थापना विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-3/2018/260/83-अव0-2018-34 (अव0)/2013 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा संशोधित गाइडलाइन्स के पैरा 2.3 पर गठित सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति PPPBEC (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा पर्यटन विकास सेवाओं के दृष्टिगत जनपद अयोध्या, वाराणसी एवं सीतापुर के नैमिषारण्य में हेलीपोर्टों को पी०पी०पी० मोड पर संचालित कराये जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति प्रदान की गयी।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या, वाराणसी एवं नैमिषारण्य (जनपद सीतापुर) में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का विकास व संचालन पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में मा० मंत्रि- परिषद् द्वारा दिनांक 29.09.2023 को निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) जनपद अयोध्या में चौधरी चरण सिंह घाट पर हैलीपोर्ट हेतु पर्यटन विभाग के स्वामित्व के अर्न्तगत उपलब्ध भूमि कुल क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर, जनपद वाराणसी के डोमरी में हैलीपोर्ट हेतु पर्यटन विभाग के स्वामित्व के अन्त्रतगत उपलब्ध भूमि कुल क्षेत्रफल 31590 वर्ग मीटर एवं जनपद सीतापुर के मिश्रिख-नीमसार में हैलीपोर्ट हेतु पर्यटन विभाग के स्वामित्व के अर्न्तगत उपलब्ध भूमि कुल क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हैलीपोर्ट के निर्माण हेतु उक्त परियोजना को पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों को लीज पर विकसित कर संचालित किया जायेगा।

उपरोक्त हेलीपोर्ट्स को पी०पी०पी० मोड पर संचालित कराये जाने हेतु लीज पर दिये जाने के प्रमुख नियम व शर्ते निम्नवत् होंगी:-

- चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित किये जाने के पूर्व अपफ्रण्ट प्रीमियम की धनराशि देय होगी, जो जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर सम्पत्ति का न्यूनतम 4 प्रतिशत होगा।
- उक्त हेलीपोर्टस को प्रथमतया 30 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर दिया जायेगा। विकासकर्ता को प्रथम 02 वर्ष विकास कार्य हेतु दिये जायेंगे। संतोषजनक सेवा एवं संचालन के आधार पर अनुबंध पुनः आगामी 30 वर्षों के लिये संवीनीकरण किया जायेगा।
- ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट के प्राविधानों के अनुसार अनुबन्ध, तिथिं से 02 वर्ष की अवधि के उपरान्त अथवा व्यावसायिक संचालन तिथि, (Commercial Operation Date) जो भी पहले होगा, से वार्षिक कन्सेशन शुल्क (Annual Concession Fee) विकासकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त हेलीपोर्टर्स को अनुमोदित बिजिनेस प्लान (Business Plan) के अनुरूप हेलीपोर्ट्स एवं संबंधित अन्य सुविधाओं का डिजाईन, फाईनेन्स, कन्स्ट्रक्ट, मैनेज, विकसित, संचालित तथा पूर्ण रूप से विकसित करना होगा।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

8- प्रश्नगत प्रायोजना, के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(2) इस संबंध में प्रचलित/सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) प्रकरण में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी०पी०पी० गाइडलाइन्स-2016 (संशोधित) में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) हेलीपोर्ट को विकसित व संचालित किए जाने के सम्बन्ध में नियामक संस्थाओं यथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी०ए०), भारत सरकार तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी०सी०ए०एस०), भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों (guidelines) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति-2023 के अनुसार संस्था का चयन होने के बाद चयनित संस्था के साथ समन्वय कर हवाई पट्टी से एम्बुलेन्स, जॉय राइड्स आदि के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
4- निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग औद्योगिक विकास विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० शासन।
6- आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या/वाराणसी मण्डल वाराणसी/लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, अयोध्या/वाराणसी/लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
9- उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या सण्डल /वाराणसी मण्डल / लखनऊ मण्डल।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।